

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समृद्ध पर्याप्त कुलसंचित जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाते हैं
कि जीवाजी अब प्राप्तिकारी हो जाएगा।
सुन्दरित विषय पर भी दूर्घटना में प्रभ
व्यवहार हुआ हो तो पर क्रमांक एवं दिनांक
अपेक्षा लिखा जाते हैं इससे सहित हो।



आम : वृत्तीयसंठी
दूरध्वाय : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसंचित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4689

दिनांक: 21/03/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध सेशनलात् देवरिया महाविद्यालय, सुदूरुगा, निण्ठ (09826217350) को उत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संवादित ची.एक. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मालवीय कुलपति मानवेद्य/त्यायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिकारियम् 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत निम्ननुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिकारी, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442828)

(2) प्रो. डी.ए. जोसेफी, आवार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) डॉ. अञ्जना मिश्रा, आवार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर थुक, धरेहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉक, प्राप्तिकृत गंतव्यों से प्राप्त अनुशासी/अनापाति प्रमाण-पत्र, ग्रन्थ, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिजिलस तथा पिछने सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉक की विद्युप्रतिक्रियाएँ का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निरीक्षण रामय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें; निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

"निरीक्षण का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई दैरी के लिए महाविद्यालय उवं उत्तराधी छोड़ा। जिसकी सूचना आमुकत, उच्च शिक्षा, शोपाल को भेज दी जाएगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति खत: निरामत हो जाएगी और पुक़ निरीक्षण समिति गठबंध हेतु महाविद्यालय को दण्ड रुपया रु. 25,000/- जमा करने होगे। तत्पश्चात दी निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवादों को प्रवेश देना अवैधानिक है।"

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचार्यली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की कुलसंचित से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. / डी.ए. / मानवेद्य विश्वविद्यालय द्वारा देख होगा।

कुलसंचित

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विद्यार्थित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आव्युक्त उच्च शिक्षा, रातपुड़ा भवन, शोपाल
4. कुलसंचित, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर संख्या 07 निम्न में निरीक्षण रामय में जमा हो।
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचित के लिये सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

सहायक कुलसंचित (सम्बद्धता)